

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभावी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई।"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **बिंवार** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-** 1270/2014 धारा–3/25 आर्म्स एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **डकेती कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तों हिस्ट्रीशीटर **1.राजाबाबू पुत्र स्वामीदीन** निवासी ग्राम छानी खुर्द थाना बिंवार जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **03 वर्ष का कारावास व ₹5000** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-एडीजीसी श्री मणिकर्ण शुक्ला



विवेचक-30नि0 सियाराम अहिरवार



पैरोकार- थाना बिंवार का0 प्रेम सिंह